भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 56

25.11.2024 को उत्तर के लिए

तटीय कटाव के प्रभाव

56. कैप्टन बृजेश चौटा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र-स्तर में वृद्धि और देश के तटीय क्षेत्र पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो विशेष रूप से दक्षिण कन्नड़ सहित कर्नाटक राज्य के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास बढ़ते समुद्र-स्तर के खतरे से उत्पन्न तटीय कटाव के खतरे से निपटने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो क्या तटीय कटाव और बढ़ते समुद्र-स्तर के कारण हर साल अपनी जमीन खोने के खतरे में रहने वाले लोगों के जीवन को सुरक्षित करने या उनके पुनर्वास के लिए कोई नीति हैं; और

(घ) क्या कर्नाटक राज्य के कटाव प्रवण तटीय क्षेत्रों के लिए कोई तटीय सुरक्षा उपाय और तटरेखा प्रबंधन प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना एवं सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, ने भारत की मुख्य भूमि के लिए 1:25000 पैमाने पर बहु-जोखिम संवेदनशीलता मानचित्र (एमएचवीएम) तैयार किए हैं। ये मानचित्र ज्वार गेज और अन्य प्रकाशित वैज्ञानिक साहित्य द्वारा दर्ज चरम जल स्तरों, उपग्रह डेटा से अनुमानित तटरेखा परिवर्तन दर, समुद्र तल परिवर्तन की दर और हाइ-रिज़ॉल्यूशन स्थलाकृतिक डेटा (एयरबोर्न लिडार टेरेन मैपिंग, और कार्टोसैट-1 डेटा से प्राप्त डिजिटल टेरेन मॉडल) के संयोजन के आधार पर तैयार किए गए थे। एमएचवीएम, तट के ऐसे संभावित क्षेत्रों को इंगित करता है जो आने वाले 100 वर्ष की अवधि में सुनामी और तूफानी लहरों जैसी समुद्री आपदाओं के कारण जलप्लावित हो जाएंगे।

भारतीय तटरेखा क्षेत्र में तटीय कटाव समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभावों में से एक है। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर), जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, ने वर्ष 1990-2018 की अवधि के लिए क्षेत्र-सर्वेक्षण किए गए डेटा के साथ-साथ मल्टी-स्पेक्ट्रल उपग्रह चित्रों का उपयोग करके पूरी भारतीय तटरेखा के लिए तटरेखा में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी की है।

एनसीसीआर के अध्ययन के अनुसार, यह देखा गया है कि भारतीय तटरेखा के 33.6% हिस्से में कटाव हो रहा है, 26.9% में अभिवृद्धि हो रही है (बढ़ रही है) और 39.6% स्थिर अवस्था में है। कर्नाटक में, कर्नाटक तट का लगभग 50% स्थिर स्थिति में है, 26% और 24% में क्रमशः अभिवृद्धि और कटाव हो रहा है। इस अध्ययन में कर्नाटक के विभिन्न तटीय जिलों में तटीय कटाव का भी अनुमान लगाया गया है और उसका विवरण नीचे दिया गया है:

जिला	तट की लंबाई (किमी में)	कटाव		स्थिर		अभिवृद्धि	
		किमी	%	किमी	%	किमी	%
उत्तर कन्नड़	175.65	21.64	12.3	107.8	61.4	46.22	26.3
उडुपि	100.71	34.96	34.7	40.97	40.7	24.78	24.6
दक्षिण कन्नड़	36.66	17.74	48.4	8.02	21.9	10.9	29.7
कुल	313.02	74.34	23.7	156.78	50.1	81.9	26.2

(ख) से (घ): भारत सरकार समुद्री कटाव से निपटने और भारत के तटीय क्षेत्रों तथा तटीय समुदायों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

i. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) के साथ मिलकर देश के पूरे तट के लिए जोखिम रेखा का निर्धारण किया है। जोखिम रेखा जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि सहित तटरेखा में होने वाले परिवर्तनों का संकेतक है। इस रेखा का उपयोग तटीय राज्यों में एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाना है, जिसमें अनुकूलन और उपशमन उपायों की योजना बनाना शामिल है। यह जोखिम रेखा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं (सीजेडएमपी) में उल्लिखित है।

ii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा तथा मछुआरों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 को अधिसूचित किया है। फिर भी, तटीय विनियमों में तट क्षेत्र में कटाव नियंत्रण उपाय करने की अनुमति दी गई है। इस अधिसूचना में भारत की तटरेखा को अतिक्रमण और कटाव से बचाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तटीय क्षेत्रों में नो डेवलपमेंट ज़ोन (एनडीजेड) का भी प्रावधान है।

iii. इस मंत्रालय ने तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के प्रावधानों के अनुसार सीजेडएमपी में तटरेखा प्रबंधन योजना को शामिल करने के निदेश जारी किए हैं।

iv. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिशा-निर्देशों के साथ तटीय संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है।

v. मैंग्रोव और शेल्टरबेल्ट वृक्षारोपण भी तटीय कटाव को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में मैंग्रोव को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए मैंग्रोव

इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम (मिष्टी) की घोषणा की गई, जो एक जैव अवरोधक के रूप में भी काम करेगी।

vi. जल शक्ति मंत्रालय की बाढ़ प्रबंधन योजना, जिसमें समुद्र-कटाव को रोकने की योजनाएँ शामिल हैं, की आयोजना और उसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुसार अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को तकनीकी, परामर्शी, उत्प्रेरक और प्रोत्साहनात्मक प्रकृति की सहायता प्रदान की।

vii. तटीय संरक्षण उपायों के लिए तटीय प्रक्रियाओं पर डेटा संग्रह के महत्व को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीम "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" के तहत एक नए घटक "तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस)" की शुरुआत की गई थी। सीएमआईएस एक डेटा संग्रह करने की गतिविधि है जो तट के पास तटीय डेटा एकत्र करने के लिए की जाती है जिसका उपयोग संवेदनशील तटीय हिस्सों में स्थल विशिष्ट तटीय सुरक्षा संरचनाओं की आयोजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव में किया जा सकता है। केरल, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी प्रत्येक में एक स्थल को मिलाकर तीन स्थलों पर यह कार्य पूरा हो चुका है।

viii. 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत वर्ष 2021-26 के लिए कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपये की अनुशंसा की है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा उपशमन कोष (एनडीएमएफ) के तहत इसी अवधि के लिए नदी और तटीय कटाव को रोकने हेतु उपशमन उपायों के लिए 1500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। दोनों कोषों (एनडीआरएफ और एनडीएमएफ) के लिए, राज्य सरकारों को लागत-साझाकरण के आधार पर संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।

ix. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) चरण-II जुलाई 2015 से मार्च 2023 तक 1864.38 करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा 1465.16 करोड़ रुपये, राज्य का हिस्सा 399.22 करोड़ रुपये) के कुल बजट/परिव्यय से 6 तटीय राज्यों में (गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल) कार्यान्वित की जा रही है।

x. कर्नाटक सरकार ने सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के प्रावधानों के अनुपालन में तटरेखा प्रबंधन योजना तैयार की है। इसके अलावा, कर्नाटक सरकार विश्व बैंक की सहायता के तहत तटीय सुरक्षा और तटीय अवसंरचना की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, तटीय समुदायों की आजीविका को सुदृढ़ करने और समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से 'कर्नाटक तटीय अनुकूलन सुदृढ़ीकरण और अर्थव्यवस्था (के-शोर)' परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

*****